**भारत सरकार**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. **4135** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **24 मार्च**, 2023/3 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाना है

**पुराने तेल टैंकरों पर प्रतिबंध**

**†4135. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :**
**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :**
**श्री विद्युत बरन महतो :**
**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :**
**श्री सुधीर गुप्ता :**
**श्री प्रतापराव जाधव :**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 वर्ष पुराने तेल टैंकरों, बड़े मालवाहक जहाजों और सामान्य कार्गो जलयानों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) सरकार द्वारा समय-सीमा के अतिरिक्त भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जलयानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनाए गए/ अपनाए जाने वाले अन्य मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय वाहकों और जलयानों को प्रचालन के लिए समय-सीमा के दायरे से बाहर रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने 25 वर्ष से अधिक पुराने टैंकरों, वाहकों और जलयानों को कोई समापन अवधि दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**

**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

**(क) से (ङ):** नौवहन महानिदेशालय ने भारतीय ध्वज के अंतर्गत जलयानों के पंजीकरण/प्रचालन और विदेशी ध्वज के अंतर्गत जलयानों, जिन्हें वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 और

407 के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करना अपेक्षित है, के लिए आयु मानदंडों और अन्य गुणात्मक मापदंडों के संबंध में दिनांक 24.02.2023 को "वर्ष 2023 का डीजीएस आदेश सं. 06" जारी किया है।

अधिकांश जलयान श्रेणियों में भारतीय बेड़े की औसत आयु, वैश्विक बेड़े की औसत आयु से अधिक है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के सतत विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य हासिल करने कम-और शून्य-कार्बन ईंधन वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों पर परिवर्तन काल के साथ-साथ प्रौद्योगिकी नवाचार को अपनाना अपेक्षित होगा और इस उद्देश्य के लिए बेड़े का आधुनिकीकरण करना महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त के अलावा, दिनांक 24.2.2023 के आदेश से गुणवत्तापूर्ण भारतीय टनभार की वृद्धि को सहायता मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह आदेश पंजीकरण हेतु एक एंट्री आयु मानदंड निर्धारित करता है। यह उन विदेशी ध्वज जलयानों के लिए लागू होगा, जिन्हें एमएस अधिनियम 1958 की धाराओं 406 और 407 के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करना आवश्यक है। तथापि, भारतीय ध्वज जलयान को एंट्री एज के बाद निर्धारित एक्जिट आयु तक तट व्यापार का लाभ प्राप्त होता रहेगा। कोई भी विदेशी ध्वज जलयान इसी आयु श्रेणी के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, इस प्रकार भारतीय ध्वज के अंतर्गत जलयान के ध्वजांकन की और अधिक मांग उत्पन्न होगी।

कुल मिलाकर, यह आदेश भारतीय ध्वज के अंतर्गत तथा भारतीय तटीय जल में संचालित होने वाले जलयानों के टनभार और गुणवत्ता पर एक साथ ध्यान देगा।

यह आदेश यात्री जलयानों, एफएसआरयू (फ्लोटिंग स्टोरेज रिगैसिफिकेशन यूनिट), एफपीएसओ (फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग) और एमओडीयू (मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स)/एसपीएस (स्पेशल परपज शिप्स) संहिता के अंतर्गत प्रमाणित ड्रिलिंग/उत्पादन इकाइयों पर लागू नहीं है। पूरे वैश्विक बेड़े में उपरोक्त जलयानों की औसत आयु ज्यादा है। एफएसआरयू, एफपीएसओ और एमओडीयू/एसपीएस संहिता के अंतर्गत प्रमाणित ड्रिलिंग/उत्पाद इकाइयां सामान्यत: 30 से 50 वर्षों तक के लिए प्रचालन हेतु डिजाइन की जाती हैं और उनके संबंधित जीवनकाल में ज्यादातर एक जगह पर ही स्थापित रहती हैं। इन कारणों से, इस श्रेणी के जलयानों को इस आयु मानक आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है।

हालांकि, इस आदेश के जारी होने की तिथि पर आदेश में निर्धारित अधिकतम आयु से प्रभावित होने वाले मौजूदा जलयानों, उनकी आयु पर कोई ध्यान दिए बगैर, को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों तक प्रचालन की अनुमति दी गई है, ताकि परिवर्तन काल के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस आदेश की तिथि पर मौजूदा चार्टर के अंतर्गत विदेशी ध्वज जलयानों हेतु ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं।

*****